

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
रुधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 204 / 2023-24

दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह,
म०न० 160 / 03, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा,
आवास विकास कालोनी, रुद्रपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.10.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-897B119136390 (05 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा था जिसकी शिकायत विभाग में की गयी, तो विभाग द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु कहा गया। इसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा चैक मीटर हेतु आवेदन शुल्क जमा कर दिया गया, तो विभाग द्वारा उनके उक्त परिसर पर दिनांक 22.09.2023 को चैक मीटर लगाया गया तथा दिनांक 01.10.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया, जिसमें उनका पुराना विद्युत मीटर तेज चलता पाया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर लगे विद्युत मीटर में पाये गये अंतर के आधार पर अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 16.10.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.10.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.10.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.10.2023 को परिवादी स्वयं के तथा

क्रमशः 2.....

विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

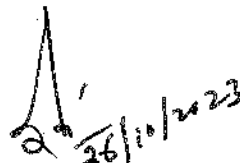
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-3912 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त परिसर पर दिनांक 22.09.2023 को चैक मापक लगाया गया था, जिसे दिनांक 01.10.2023 को फाइनल किया गया। जांच में परिवादी का पुराना विद्युत मापक (मापक संख्या-357082) चैक मापक के सापेक्ष 173 प्रतिशत तेज चलता पाया गया। चैक मापक की रिपोर्ट के आधार पर परिवादी का माह 10/2023 तक का विद्युत बीजक मैनुअल गणना के आधार पर संशोधित कर रू0 (-) 99963.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

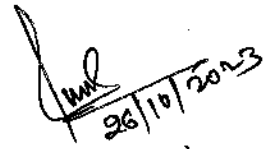
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य